

भारतीय कारागार व्यवस्था एवं कानूनी सुधार

Dr. Ratan Singh Tomar*

Assistant Professor, Pt. Motilal Nehru P.G. Law College, Chhatarpur, Madhya Pradesh

सारांश – भारत में कारागार सुधार का प्रथम प्रयास सन् 1835 ई. से प्रारम्भ होता है। इसी वर्ष लार्ड मैकाले ने भारत सरकार का ध्यान भारतीय जेलों की खराब स्थिति की ओर आकृष्ट किया और उनके सुझाव के आधार पर जेलों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए 27 जनवरी 1836 ई. को एक समिति नियुक्त की गयी, जिसने अपना प्रतिवेदन सन् 1838 ई. में प्रस्तुत किया। भारतीय जेलों की दशाओं का अध्ययन करने वाली यह प्रथम समिति थी जिसने अपने प्रतिवेदन में जेलों के निम्नश्रेणी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार, अनुशासनिक दुर्व्यवस्था की ओर संकेत किया परन्तु इस समिति ने अपनी संस्तुतियों में भी सुधारात्मक प्रभावों जैसे नैतिक तथा धार्मिक शिक्षण शिक्षा अथवा सदाचरण के लिए किसी पारितोशिक व्यवस्था आदि को जान-बूझकर अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह समकालीन प्रतिरोधात्मक विचारों से प्रभावित थी।

-----X-----

कारागार सुधार का प्रथम प्रयास

समिति की संस्तुतियों का पालन करते हुये आगरा में सन् 1846 ई. में एक केन्द्रीय कारागार की स्थापना की गयी। भारत का यह प्रथम केन्द्रीय कारागार था। इसके पश्चात् बरेली तथा इलाहाबाद में सन् 1848 ई. में लाहौर में सन् 1852 ई. में अलीपुर में 1864 ई. में वाराणसी में तथा फतेहगढ़ में 1864 ई. में तथा लखनऊ में 1867 ई. में केन्द्रीय कारागारों की स्थापना हुयी।

सन् 1844 ई. में प्रथम बार पश्चिमोत्तर प्रान्त (वर्तमान में उत्तर प्रदेश) में कारागार महानिरीक्षक की नियुक्ति की गयी। यह नियुक्ति प्रयोगात्मक तौर पर 2 वर्ष के लिए की गयी थी। फिर 4 वर्ष के लिए बढ़ा दी गयी। 1850 में भारत सरकार ने इस पद को स्थायी बना दिया तथा प्रत्येक प्रान्त में कारागार निरीक्षक नियुक्त करने का सुझाव दिया तथा बाद में कारागारों के अधीक्षक के रूप में भारत सरकार ने सन् 1864 ई. में देश के सभी प्रान्तों ने जिला कारागारों के अधीक्षक के रूप में सिविल सर्जनों को नियुक्त करने का आदेश दिया।

कारागार सुधार का द्वितीय प्रयास:-

कारागार प्रबंध में सुधार लाने हेतु 1864 ई. में एक द्वितीय समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने कारागार में प्रत्येक बन्दी के लिए न्यूनतम स्थान के रूप में 53 धरातलीय फीट तथा 640 घनफीट जगह निर्धारित की। समिति ने बंदियों के भोजन, वस्त्र, विस्तर और रहने की दशाओं में सुधार लाने का तरीका कि

प्रत्येक केन्द्रीय कारागार में 15 प्रतिशत बन्दियों के लिए एकान्तवास कोठरियों की व्यवस्था होनी चाहिए और उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए।

कारागार सुधार का तृतीय प्रयास:

कारागार में सुधार लाने के संदर्भ में तृतीय अखिल भारतीय कारागार समिति की नियुक्ति सन् 1877 ई. में की गयी। इस समिति के सभी सदस्य कारागार विभाग में ही कार्यरत थे। इस समिति ने कारागार प्रशासन के सामान्य उद्देश्यों तथा सिद्धांतों की अपेक्षा कारागार प्रबंध तथा कारागारिक कार्य के संबंध में कुछ विशेष सुझाव दिये।

कारागार सुधार का चतुर्थ प्रयास:

अखिल भारतीय स्तर पर चतुर्थ कारागार समिति की नियुक्ति सन् 1889 ई. में की गई। इस बार इस समिति ने जेल के दैनिक कार्य के प्रति अपना ध्यान आकर्षित किया। समिति की प्रतिवेदन "व्यवसाय समिति प्रतिवेदन" था जिसके अन्तर्गत जेल के आन्तरिक प्रबन्ध तंत्र के लिए विस्तृत नियम बनाये गये थे। समिति ने उन बन्दियों को अलग रखने की सिफारिश की जिस पर मुकदमा चल रहा हो तथा बन्दियों को आकस्मिक एवं अभ्यस्त दो श्रेणियों में विभक्त करने की संस्तुति प्रदान की।[1] समिति की संस्तुतियों को अनेक प्रान्तों के "जेल मेनुअल्स" में अन्तर्विष्ट कर लिया गया।

कारागार सुधार का पंचम प्रयास:- कारागार सुधार के पंचम प्रयास के अन्तर्गत सन् 1892 ई. में अखिल भारतीय स्तर पर पुनः कारागार समिति की नियुक्ति की गयी। इसने भारत में सम्पूर्ण कारागार-प्रशासन का पुनर्सर्वेक्षण किया तथा कारागारों के अपराध एवं दण्ड के विषय में प्रास्तावक पारित किया।

समिति के प्रतिवेदन को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया तथा सन् '1894 ई. में' कारागार अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम का प्रभाव अधिल भारतीय स्तर पर किया। अधिनियम में कारागार को परिभाषित किया गया तथा कारागार अधिकारियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। कैदियों के पृथक्करण पर बल देते हुये बन्दियों एवं महिला अपराधियों, दीवानी तथा फौजदारी से संबंधित बंदियों को अलग-अलग रखने का प्रावधान प्रस्तुत किया गया। दण्डित बन्दियों को अलग अलग छोटे-छोटे कमरों में बंद करने, कमरों में बन्दियों को सामूहिक एवं एकाकी रूप में रखने की भी व्यवस्था की गयी।

यह अधिनियम प्रधानतः प्रतिरोधात्मक सिद्धान्त पर आधारित था। बंदियों से कारागारों में कठिन परिश्रम लिया जाता था तथा जेल के अनुशासन का निर्ममतापूर्वक पालन कराया जाता था। कारागार में बंदियों को यातनाएं दी जाती थीं। उन्हें भोजन देने में घोर लापरवाही बरती जाती थी। विधि निर्माण करने वालों को बन्दियों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता था। सन् 1897 ई. का भारत में कारागार सुधार आन्दोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसी वर्ष रिफॉरमेटरी स्कूल एक्ट पारित किया गया जिसके अन्तर्गत 15 वर्ष से कम आयु वाले किशोर अपराधियों को कारागार में भेजने के स्थान पर रिफारमेटरी स्कूलों में भेजने की व्यवस्था की गयी।

सुधारात्मक प्रयासों के बावजूद यहाँ यह कथनीय है कि भारतीय कारागारों की विचारनीय अवस्था भारतीय कारागार समिति 1919 की नियुक्ती तक बनी रही।

कारागार सुधार का षष्ठ प्रयास:-

कारागार सुधार की दिशा में कुछ ठोस रचनात्मक कार्य का प्रारम्भ सन् 1919 ई. में हुआ जब भारतीय कारागार समिति को नियुक्त किया गया। इस समिति ने इंग्लैण्ड, स्काटलैण्ड, यू.एस.ई., जापान, फिलीपिन्स तथा हॉंगकांग आदि देशों तथा भारत वर्ष की कारागारों की व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन एवं अवलोकन करने के पश्चात् कारागार प्रशासन के विविध पक्षों में परिवर्तन लाने के संदर्भ में एक विस्तृत सुझावात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अवलोकन के अनुसार, "भारतीय कारागार प्रशासन के कारागारिक कार्य का सुधारात्मक पक्ष बहुत पीछे पाया गया। यह बन्दी को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने में अब

तक असफल रहा है तथा उसे कारागार प्रशासन तंत्र समूह में एक इकाई के रूप में समझा जाता रहा है।[1] समिति के अनुसार "कारागार प्रशासन का उद्देश्य और अधिक अपराध करने का निवारण करना तथा अपराधी को सुधारकर पुनः समाज में स्थापित करना है।" समिति ने कारागार को दण्डस्थल न मानकर "सुधार स्थल" माना है। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में अपराधियों के सुधार एवं उपचार के विषय में यह उल्लेख किया, अपराधियों पर जब तक कि वे कारागार में हैं, ऐसा प्रभाव डालना चाहिए जिससे वे दुबारा अपराध न करें एवं साथ ही अपराधियों को सुधार करना स्वीकार कर लेना चाहिए।

कारागारिक अपराधों के लिए शारीरिक दण्ड देने के परम्परागत विधान में कमी करने का विचार प्रकट किया गया। केवल कुछ विशेष प्रकार के अपराधों जैसे विद्रोह या बगावत करने विद्रोह या वगावत करने सन्दर्भ में प्रोत्साहन देना, कारागार के कर्मचारियों अथवा पर्यवेक्षकों, दर्शकों, आगन्तुकों इत्यादि पर प्रहार करना तक ही उसको परिसीमित करने का सुझाव प्रस्तुत किया गया। बन्दियों को कारागार से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को विस्तारित कर दिया गया। किशोर बन्दियों को अपने रिश्तेदारों को दो बार पत्र लिखने वाली सलाह भी समिति द्वारा सुझाई गई।

बन्दियों को शिक्षा प्रदान करना, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। प्रत्येक कारागारों में पुस्तकालयों की स्थापना की गई समिति ने बंदियों को उत्कृष्ट भोजन एवं वस्त्र प्रदान करने का सुझाव दिया। बंदियों के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा साधनों को उपलब्ध कराने की सिफारिश की।

प्रतिवेदन के प्रकाशन के पश्चात् सम्पूर्ण भारत में कारागार सुधार को प्रत्यक्षतः काफी प्रोत्साहन मिला। भारत सरकार ने इस समिति द्वारा की गई आलोचनात्मक एवं संस्तुतियों को महत्त्वपूर्ण मानकर सभी स्थानीय सरकारों को प्रतिवेदन का अध्ययन करने एवं उल्लिखित सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी किया। इस प्रतिवेदन के परिणामों से न केवल कारागार विभाग प्रभावित हुआ बल्कि दण्ड सुधारों को भी प्रोत्साहन मिला।

ब्रोस्टल अधिनियम बाल तथा परिवीक्षा अधिनियम एवं कुछ अन्य अधिनियम निःसंदेह इसी प्रतिवेदन के प्रत्यक्ष या परोक्ष परिणाम हैं। बार्कर ने इस प्रतिवेदन को भारत में आधुनिक कारागार व्यवस्था की आधार शिला माना है।

कारागार संगठन एवं नियंत्रण-

भारत में बंदियों से संबंधित सभी प्रकार के कारागार राज्य सरकारों के अधीनस्थ होते हैं तथा इनका नियंत्रण कारागार-मंत्री कारागार मंत्रालय के सहयोग से करता है। भारत सरकार के अधिनियम 1919 के पारित होने तक कारागार मंत्री कारागार मंत्रालय के सहयोग से करता है। भारत सरकार के अधिनियम 1919 के पारित होने तक कारागार विभाग केन्द्रीय सरकार का एक मुख्य अंग था। उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत कारागार विभाग राज्य सरकारों के अधीनस्थ हो गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वेष शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया तथा कारागार विभाग को इससे संबंधित मंत्रालय को नियंत्रण हेतु हस्तान्तरित कर दिया गया। कारागार मंत्री को कारागार प्रशासित करने के लिए सचिव नियुक्त होते हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के वरिष्ठतम संवर्ग से आते हैं।

कारागार विभाग का कार्यकारी अध्यक्ष कारागार महानिरीक्षक (Inspector General of Prisons) व spelled out होता है जो कारागार मंत्री द्वारा बनयी गयी नीतियों को कार्यान्वित करता है।

सन् 1844 में सर्वप्रथम “नार्थ वेस्टर्न प्राविन्स” जिसे आजकल उत्तरप्रदेश कहा जाता है मे इस पद का प्रयोगात्मक आधार पर लार्ड मैकाले समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सृजन किया गया।

कारागार महानिरीक्षक का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है चूंकि कारागार महानिरीक्षक कारागारी तंत्रिय व्यवस्था का शीर्षस्थ पदाधिकारी होता है। अतः वह राज्य स्तरीय कारागारिक संगठन के विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों उनके अनुभाग की नीतियों एवं कर्मचारियों उनके अनुभाग की नीतियों एवं कार्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तरदायी वह व्यक्ति होता है जो राज्यस्तरीय कारागारिक संगठन के संवर्द्धन एवं विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है। कारागार महानिरीक्षक से यह आशा की जाती है कि वह एक वर्ष के अन्तर्गत राज्य के सभी कारागारों एवं तत्संबंधित संस्थाओं का वैयक्तिक रूप से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करें। कारागार के वरिष्ठतम एवं कनिष्ठतम कर्मचारियों के नियुक्ति एवं उनके स्थानान्तरण का प्रबंध भी कारागार उत्पादन तथा कारागार उपयोग के प्रति भी कारागार महा निरीक्षक ही उत्तरदायी होता है।

कारागार महानिरीक्षक ऐसे विभाग का अध्यक्ष होता है जिसके अधीनस्थ एक राज्य विशेष के समस्त कारागार अधिकारी कर्मचारी एवं हजारों बंदीजन रहते हैं। इस प्रकार कारागार

महानिरीक्षक को जहां एक ओर राज्य विशेष के समस्त कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संगठित एवं नियंत्रित करने का कार्य करना पड़ता है, वहां दूसरी ओर उसे उस प्रदेश विशेष के समस्त कारागारों में रहने वाले बंदियों को भी संगठित एवं नियंत्रित करने का कार्य करना पड़ता है।

कारागार प्रशासन में कारागार महानिरीक्षक की सहायता करने के उपकारागार महानिरीक्षक नियुक्त होते हैं। जो अधीक्षकों, उपकारागार अधीक्षकों, जेलरों, डिप्टीजेलरों, वार्डरों मेडिकल अफसरों एवं अन्य कर्मचारियों के सहयोग से कारागारों के कार्य सम्पादित करते हैं।

अनुशासन एवं नियंत्रण

औपचारिक रूप से कारागार अनुशासन का तात्पर्य है- नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड द्वारा बंदियों के जीवन को नियमित करने का प्रयास करना। किसी कारागार में कर्मचारियों तथा बंदियों के श्रम के विभाजन के लिए कार्य एवं भोजन की सूची निर्मित करने के लिए समुदाय से संतोषपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए तथा इसी प्रकार के अन्य प्रबंधों के कार्य के लिए “न्यूनतमक संगठन” बनाना पड़ता है। कारागार कर्मचारी एवं बंदियों के कार्य की सूची को सामान्य तथा निकटस्थ रूप से समन्वित बनाने, निश्चित समय पर भोजन देने, निर्धारित समय पर स्नान कराने, निर्धारित अवधि में बाल कटाने तथा इसी प्रकार अन्य नित्य-नैमित्तिक कार्यों को नियत समय व अवधि में कराने का दायित्व कारागार प्रशासन व संगठन के अनुशासन व नियंत्रण के क्षेत्र में आता है।

कारागार में रहने वाले सभी बंदी ऐसे नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं जो कारागार के किसी उच्च अधिकारी द्वारा उन्हें दिये जाते हैं। बंदियों को अनुशासित रखने के लिए बंदी आचार संहिता होती है एवं प्रत्येक बंदी से इस आचार संहिता का पालन कराने की अपेक्षा की जाती है। प्रतिदिन सुबह एवं शाम को बैरक खुलने तथा बंद होने के समय बंदियों की गणना की जाती है। रात में बैरकों की पहरेदारी करने वाले गार्ड या वार्डर वहां पहरा देते हैं। जिससे की कैदियों पर आचरण एवं अनुशासन पर नजर रख सके। कारागार के उच्च अधिकारी भी रात्रिकालीन बैरकों का पर्यवेक्षण करते रहते हैं।

जब कोई बंदी कारागार के नियमों का उल्लंघन करता है तो औपचारिक रूप से इसकी सूचना कारागार के उच्च परिरक्षक अधिकारी अथवा वर्गीकरण समिति को दी जाती है कारागार के उच्च परिरक्षक अधिकारी अथवा वर्गीकरण समिति की उपसमिति के समक्ष नियमों के उल्लंघन करने के मामलों की

सुनवाई होती है और संबंधित बंदी को अपने मामले के सुनवाई के विषय में कहने की स्वीकृति प्रदान की जाती है यदि मामले के सुनवाई के विषय में कहने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि मामला गंभीर होता है तो नियमों के उल्लंघन की सूचना देने वाले गार्ड या रक्षक को भी अपना बयान देने के लिए उच्च परिरक्षा अधिकारी या समिति के समक्ष बुलाया जाता है। यदि बंदी दोषी पाया जाता है तो उसे दण्ड दिया जाता है। प्रारम्भिक दिनों दण्ड के रूप में शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, किन्तु वर्तमान समय में दण्ड के रूप में शारीरिक दण्ड न देकर बंदी की सुविधाओं में कमी कर दी जाती है। अथवा मुक्त करने वाली अवधि में दी जाने छूट रद्द या निरस्त कर दी जाती है तथा गंभीर मामलों में एकान्तवास का दण्ड प्रदान किया जाता है। कभी कभी ऐसे बंदियों को शिकंजो में कस दिया जाता है अथवा असहनीय ताप अथवा दण्ड में संतप्त किया जाता है।

उन्हें घण्टों खड़ा रखा जाता है, अग्नि जल का छिड़काव किया जाता है तथा कभी-कभी कलाइयों को ऊपर करके बांध दिया जाता है। इस तरह दण्डित करके उन्हें अनुशासित व नियमित करने का प्रयास किया जाता है।

औपचारिक रूप से प्रिजन्स एक्ट 1894 की धारा 45 के अन्तर्गत बंदियों को लिए कारागार में कई प्रकार के व्यवहार निषिद्ध घोषित किये गये हैं। इन घोषित नियमों के अतिरिक्त भी किन्हीं कार्यों को विचलनकारी आपराधिक कृत्य मानकर उनके लिये निषिद्ध घोषित किये गये हैं। घोषित नियमों व निषिद्ध कार्यों का उल्लंघन करने पर प्रिजन्स एक्ट 1894 में उपबन्धित दण्डों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है

1. हल्के दण्ड एवं
2. गंभीर दण्ड

हल्के दण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार के दण्ड सम्मिलित हैं -

- 1) कारागार अधीक्षक द्वारा, नियमों के उल्लंघन बंदी को औपचारिक रूप से व्यक्तिषः चेतावनी दी जाती है जिसका उल्लेख कारागारिक दण्ड रजिस्टर तथा बंदी के प्रतिदिन के पत्रक में किया जाता है।
- 2) ऐसे बन्दी के निर्धारित श्रम के कठोर श्रम में परिवर्तित किया जा सकता है।
- 3) ऐसे बंदी की अर्जित की गयी छूट को रद्द किया जा सकता है।

- 4) तारांकित श्रेणी से पदच्युत किया जा सकता है
- 5) सात दिन से अधिक अवधि के लिए कोठरी में बंद किया जा सकता है अथवा चौदह दिन से अधिक अवधि के लिए एकान्त परिरोध का दण्ड दिया जा सकता है।
- 6) बंदी को हथकड़ियों लगायी जा सकती है।
- 7) बंदी को 30 दिन से अधिक अवधि के लिए श्रंखला बेड़ी (लिंग फेटर्स) लगायी जा सकती है
- 8) तीन महिने से अधिक अवधि के लिए ऊनी वस्त्र के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के बने वस्त्र के स्थान पर टाट या अन्य मोटे खुरदुरे कपड़े के बने वस्त्र दिये जा सकते हैं।

गंभीर दण्ड के अन्तर्गत अधोलिखित प्रकार के दण्ड समाहित हैं -

- 1) कठोर कारावास का दण्ड न पाये हुये बंदियों को सात दिन से अधिक अवधि के लिए कठोर श्रम प्रदान किया जा सकता है।
- 2) अर्जित छूट के दिनों में चार दिन से लेकर तीन महिने तक की अवधि को रद्द या निरस्त किया जा सकता है।
- 3) सात दिन से अधिक दिनों के लिए कोठरी में बंद किया जा सकता है
- 4) 14 दिन से अधिक किन्तु तीन महिने से अनाधिकत अवधि के लिए अलग परिरोध का दण्ड दिया जा सकता है।
- 5) डण्डा बेड़ी (बार फेटर्स) पहनाया जा सकता है।
- 6) कोड़े मारने का दण्ड दिया जा सकता है किन्तु यह दण्ड केवल विद्रोह या विद्रोह के लिए उभारने या गंभीर आक्रमण के लिए ही दिया जाता है।

डॉक्टर डब्ल्यू सी रेकलेस ने -

'भारत में कारागार प्रशासन' पर एक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया तथा भारत को संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता क्रम से सुधारों का सुझाव दिया। 1957 में नियुक्त अखिल भारतीय कारागार समिति ने 1960 में एक बंदीगृह नियमावली नमूना (Model Prison Manual) तैयार किया जो कि बंदियों के प्रति व्यवहार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment

of Prisoners) के अनुकूल था। बंदियों के वर्गीकरण पर बल दिया गया जिसमें बंदियों के लिंग, आयु, अपराधिक अभिलेख, दण्ड की अवधि सुरक्षा, प्रशिक्षण व्यवहार तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये बन्दियों के वर्गीकरण पर बल दिया गया। संक्षिप्त अवधि के दण्डों की समाप्ति, परिवीक्षा तथा पैरोल का अधिक उपयोग किशोर अपराधियों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तथा 16 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बंदियों के लिए पृथक संस्थाएं, बंदीगृह कल्याण अधिकारियों की सहायता से बंदियों के परिवार तथा अन्य पर्यावरणीय प्रभावों को समझते हुये बंदियों की वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुसार उनके साथ व्यवहार, बंदीगृहों से मुक्त किये गये अपराधियों की पश्चात्कर्तव्य देखरेख तथा पुनर्वास पर भी बल दिया गया।

मुल्ला समिति

बंदीगृह अधिनियम 1894 तथा बंदी अधिनियम 1900 देश के कारागार प्रशासन को संचालित करते हैं इसके अतिरिक्त राज्यों की कारागार नियमावतियां (Jail Manual) है। राज्य संयुक्त राष्ट्र के मानक न्यूनतम नियमों को लागू कर रहे हैं। 1983 में ए.एन मुल्ला समिति ने आधुनिक ढंग पर बंदीगृह सुधारों के लिए एक स्थाई राष्ट्रीय आयोग का भी सुझाव दिया। इसने किशोर अपराधियों को अन्य कठोर अपराधियों से अलग सिफारिशें की। इसी प्रकार की सिफारिशें महिला अपराधियों के लिए भी की गई तथा मानसिक रूप से विछिन्न बंदियों को मानसिक चिकित्सालयों में रखे जाने की सिफारिश की गई।

कारागार के अधिकारीगण

महानिरीक्षक (Inspector General):- प्रत्येक राज्य सरकार के अधीनस्थ राज्य क्षेत्रों के लिए एक महानिरीक्षक नियुक्त किया जायेगा और वह उस राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए उस सरकार की अधीन राज्यक्षेत्रों में सभी कारागारों पर साधारण नियंत्रण और अधीक्षण रखेगा एवं राज्य सरकार पूर्व राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए एक अतिरिक्त महानिरीक्षक कारागार और एक अथवा अधिक उप महानिरीक्षक कारागार की नियुक्ति कर सकेगा। और ऐसा महानिरीक्षक उन सभी शक्तियों एवं कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे राज्य शासन द्वारा सौंपे जाये।

अधीक्षक (Superintendent)

महानिरीक्षक के आदेशों के अधीन रहते हुए अधीक्षक अनुशासन, श्रम व्यय दण्ड और नियंत्रण संबंधी सभी मामलों में कारागार का प्रबंध करेगा।

ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा दिये जाएं किसी केन्द्रीय कारगार या प्रेसीडेंसी नगर में स्थित किसी कारागारों के भिन्न किसी कारागार का अधीक्षक उन सभी आदेशों का पालन करेगा, जो उसे अधिनियम या उसके अधीन किसी नियम से असंगत न हो तथा जो उस कारागार के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिये जाएं और ऐसे सभी आदेशों की तथा उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट महानिरीक्षक को देगा।

अधीक्षक अपने द्वारा किये गये कर्तव्य के पालन में कार्यों का पूरा विवरण एक अभिलेख के तौर पर तैयार करेगा। जैसे की प्रविष्ट किए गये बंदियों की रजिस्टर बंदी को रिहा करने की पूरी जानकारी एक ऐसी दण्ड पुस्तिका जिसमें अपराधी को दिये गये दण्ड का वर्णन किया गया हो।

कारागार प्रशासन से संबंधित समस्त जानकारी एवं बंदियों के लिए धन या अन्य वस्तुओं का अभिलेख ये सभी अभिलेख निर्धारित नियमों को ध्यान में रखते हुए बनाये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer)

चिकित्सा अधिकारी, अधीक्षक के नियंत्रण के अधीन रहते हुये चिकित्सा अधिकारी कारागार के स्वच्छता संबंधी प्रशासन का भार साधक होगा और उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किये गये हैं।

जेलर (Jailor)

जब तक कि अधीक्षक जेलर को अन्य निवास करने की अनुज्ञा नहीं देता है तब तक जेलर कारागार में ही निवास करेगा और महानिरीक्षक की लिखित मंजूरी के बिना जेलर किसी अन्य नियोजन से अपना कोई संबंध स्थापित नहीं करेगा। जेलर का कर्तव्य है कि वह कारागार में घटित होने वाली सारी घटनाओं की जानकारी अधीक्षक एवं महानिरीक्षक को देगा, जेलर पूरे समय दिन एवं रात में कारागार में ही उपस्थित रहेगा। बंदियों संबंधी समस्त जानकारी का अभिलेख रखेगा एवं किसी बंदी की मृत्यु की सूचना तुरन्त अधीक्षक एवं महानिरीक्षक को देगा।

अधीनस्थ अधिकारी (Subordinate officers)

गेट कीपर के रूप में कार्य करने वाला अधिकारी या कारागार का कोई अन्य अधिकारी कारागार में या उसके बाहर ले जाई जाने वाली किसी वस्तु की परीक्षा कर सकता है जिसके बारे में यह संदेह है कि कोई प्रति सिद्ध वस्तु कारागार में लाई या बाहर से

लाई जा रही है या कारागार की कोई सम्पत्ति बाहर ले जायी जा रही है तो इसकी सूचना तुरन्त जेलर को देगा।

अधीनस्थ अधिकारी कभी भी बिना छुट्टी के कारागार से अनुपस्थित नहीं रहेंगे वे केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों जैसे महानिरीक्षक, अधीक्षक एवं जेलर से आज्ञा लेकर ही जायेंगे।

ये अधीनस्थ अधिकारी IPC 1860 के अन्तर्गत लोक सेवक माने जायेंगे। एवं उन सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो उन्हें सौंपे जायेंगे नियमावली के द्वारा।

सन्दर्भ -ग्रन्थ सूची

पुस्तक का नाम	लेखक	प्रकाशक का नाम
भारत का संविधान	जे.एन. पाण्डेय	सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन
अपराध शास्त्र	डॉ. ना.वि. पंराजये	सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन एवं दण्ड प्रशासन
अपराध शास्त्र एवं दण्डशास्त्र	डॉ. मुरलीधन चतुर्वेदी	इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन
अपराध शास्त्र के सिद्धान्त	प्रो. श्यामधर सिंह	सपना अशोक प्रकाशन वाराणसी
अपराध शास्त्र एवं एम. एस. चौहान	सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन	अपराधिक प्रशासन
विवेचनात्मक अपराध शास्त्र	राम आहूजा मुकेश आहूजा	रावत पब्लिकेशन जयपूर एवं नई दिल्ली
दण्ड शास्त्र	डॉ. युमनाशंकर शर्मा	ईस्टर्न बुक कम्पनी

Corresponding Author

Dr. Ratan Singh Tomar*

Assistant Professor, Pt. Motilal Nehru P.G. Law College, Chhatarpur, Madhya Pradesh